88/2021/I/89353/2021-71-2099/783/2021

प्रेषक,

आलोक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कुलपति,
किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय,
उ0प्र0 लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 16 अगस्त, 2021

विषय- कोविड-19 के दृष्टिगत् चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में के0जी0एम0यू0, उ0प्र0, लखनऊ हेतु उपकरणों के क्रय हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-1338/ वित्त एवं लेखा/ क्रय/2021, दिनांक 08-07-2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा के0जी0एम0यू0, लखनऊ हेतु उपकरणों सूची अनुमोदित करते हुए धनराशि रू0 4086.18 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु वित्त अधिकारी के0जी0एम0यू0 के पत्र दिनांक 08-07-2021 में उल्लिखित उपकरणों की सूची को इसके तकनीकी स्पेसिफिकेशन के साथ अनुमोदित करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में के0जी0एम0यू0 के 26- मशीन और सज्जा / उपकरण और संयन्त्र मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 3991.78227 लाख (उन्तालीस करोड इक्यानबे लाख अटठहत्तर हजार दो सौ सत्ताईस रूपये मात्र) अवमुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति राज्यपाल महोदय एतदद्वारा निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

1. उपकरणों के क्रय किये जाने के संबंध में चिकित्सा शिक्षा विभाग के शासनादेश संख्या-558/71-2-2021-698/2020 टी0सी0, दिनांक 15 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्णत: अनुपालन सुनिश्चित किये जाने का दायित्व कुलपति/वित्त अधिकारी, के0जीएम0यू0 का होगा।
2. वास्तविक आवश्यकता/उपयोगिता के आधार पर चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 के प्रचलित शासनादेशों के द्वारा जिन उपकरणों के संबंध में मानकीकरण करते हुये दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं, उनके सम्बन्ध में उक्तानुसार निर्धारित तकनीकी विशिष्टिताओं एवं दिशा-निर्देशों के आधार पर ही उपकरणों के क्रय की कार्यवाही विश्वविद्यालय स्तर से नियमानुसार सुनिश्चित की जायेगी।
3. विश्वविद्यालय द्वारा उपकरण/संयंत्र मद में उक्तानुसार अवमुक्त की जा रही धनराशि की सीमा तक ही उपकरणों का क्रय किया जायेगा एवं किसी भी परिस्थिति में उक्तानुसार अवमुक्त की गयी धनराशि से अधिक का आहरण/व्यय नहीं किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण तभी किया जायेगा, जब उपकरण क्रय संबंधी समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति विश्वविद्यालय द्वारा कर ली जाए।
5. स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक/डाकघर आदि में किसी भी दशा में नहीं रखा जायेगा।
6. वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों/दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन किया जायेगा।
7. प्रस्तावित उपकरणों की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कुलपति/वित्त अधिकारी/संबन्धित विभागाध्यक्ष की होगी।
8. दर अनुबन्ध/निविदा निर्गत होने से पूर्व वित्त अधिकारी द्वारा सम्बन्धित विभागाध्यक्ष से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लेगें कि प्रस्तावित उपकरण किसी एक विशेष कम्पनी की विशिष्टियॉ न हो तथा बाजार में उपलब्ध उच्च स्तर की कम्पनियों की विशिष्टियों (Technical Specifications) का यथासम्भव समावेश किया जाये।
9. कुलपति/कुलसचिव/वित्त अधिकारी द्वारा क्रय हेतु भण्डार क्रय नियमों का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा नियमानुसार आडिट भी सुनिश्चित कराया जायेगा।
10. विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उपकरणों का क्रय न्यूनतम मूल्य पर किया जाय।
11. उक्त उपकरणों का क्रय किए जाने के सम्बन्ध में समस्त औपचारिकताएं नियमानुसार पूर्ण किए जाने के पश्चात, यदि उपकरण क्रय के पश्चात धनराशि की बचत होती है तो इस संबंध में नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
12. वर्तमान वित्तीय वर्ष में उक्त निर्गत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र (क्रयादेश/ उपकरण स्थापना की सूचना सहित) यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
13. स्वीकृत धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार एवं व्यय नियमानुसार किया जायेगा तथा इसका उपयोग उसी मद में किया जायेगा जिसके लिए यह धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
14. सुसंगत नियमों और प्राविधानों का पालन करते हुये पारदर्शी प्रक्रिया के तहत आवश्यक और उपयोगी उपकरणों का क्रय किया जायेगा तथा क्रय की जाने वाली सामग्री की विशिष्टियों, गुणवत्ता व आडिट आदि की जिम्मेदारी क्रय करने वाली संस्था की होगी।
15. धनराशि रू0 3991.78227 लाख के सापेक्ष ही उपकरणों का क्रय किया जायेगा तथा शासनादेश दिनांक 24.05.2021 में प्राविधानित व्यवस्थानुसार धनराशि रू0 94.40 लाख एस0डी0आर0एफ0 / कोविड केयर फण्ड से प्रतिपूर्ति होने की स्थिति में शासन को यथावश्यक प्रस्ताव उपलब्ध कराया जायेगा।
16. प्रेषित तकनीकी स्पेसिफिकेशन के अनुसार प्रोक्योरमेन्ट की कार्यवाही जेम पोर्टल पर ई-बिड, कस्टम बिड / कम्पेयर के माध्यम से करने पर प्री-बिड मीटिंग के उपरान्त चिकित्सकीय उपकरणों के तकनीकी स्पेसिफिकेशन में कालान्तर में यदि कतिपय कारणों से तकनीकी स्पेसिफिकेशन में किसी प्रकार के आंशिक संशोधन की स्थिति बनती है तो उसे कुलपति, के0जी0एम0यू0 के अनुमोदनोपरान्त संशोधन करने की कार्यवाही की जा सकेगी।
17. सुसंगत नियमों/प्राविधानों के अन्तर्गत पारदर्शी प्रक्रिया का पालन करते हुए निर्धारित विशिष्टियों के अनुरूप तर्क संगत दरों पर उपकरण क्रय किये जायेंगे। इसके सम्बन्ध में सभी प्रकार का दायित्व क्रेता का ही होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- धनराशि को कोषागार से वित्त अधिकारी, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा आहरित किया जायेगा एवं बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

4- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक अनुमान अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के पूँजी लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-06- किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0, लखनऊ-26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयत्र" के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22-03-2021 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिहित किये गये अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आलोक कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या- उपरोक्तानुसार-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4. नोडल अधिकारी, बजट आवंटन, चिकित्सा शिक्षा, उ0प्र0 शासन।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त अधिकारी, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ।
7. वित्त (व्यय नियंत्रण)अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।